

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या : एचआरएम-1/पदोन्नती/312

दिनांक : 27/03/2023

कार्यालय आदेश

श्रीमती यु. एस. त्रिवेदी, सहायक पर्यवेक्षक को स्थानापन्न रूप में पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नती, केन्द्रीय सिविल सेवा (सुधारित वेतन) नियम 2016, पे मेट्रीक्स के लेवल-8 (रु.47600-151100), दिनांक 01-04-2023 या कार्यभार ग्रहण की तिथि से जो भी बाद में हो दी जाती है।

Smt. U.S. Trivedi, Asstt. Supervisor is promoted to officiate in the cadre of Supervisor, in Level - 8 of Pay Matrix Rs. 47600-151100 of CCS (Revised Pay) Rules 2016, with effect from 01-04-2023 or from the date of assumption of charge whichever is later.

पर्यवेक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उन्हें वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देना है। यदि एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत उनकी वित्तीय लेवल बढ़ाई गई है तो पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर वेतन निर्धारण का कोई अवसर नहीं होगा।

He/She should exercise option for fixation of pay within one month from the date of taking over charge as Supervisor. If he/she has already been extended the benefit of financial up gradation under MACP Scheme, there shall be no occasion for fixation of pay on his/her promotion as Supervisor.

यह पदोन्नती SLP (C) No. 30621/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 26-09-2018 को पारित किए गए निर्णय के अधीन है और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्य आदेश के अधीन होगी।

The above promotion is subject to judgment dated 26-09-2018 of the Hon'ble Supreme Court SLP (C) No. 30621/2011 and will be subject to any further orders as may be passed by the Hon'ble Supreme Court.

(प्राधिकार : प्रधान महालेखाकार के आदेश दिनांक 24/03/2023)

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक : 27/03/2023

संख्या : एचआरएम-1/पदोन्नती/पा.ग.- 484 B

प्रतिलिपि जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार के व.निजि सचिव
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन/निधि) का सचिवालय
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा एवं व्ही एल सी/पेंशन) का सचिवालय
4. कल्याण अधिकारी
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वेतनपंजी/ई.आय.एस./आय.ए./आं.प्र.अनुभाग
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.एम./एफ.एम./टी.एम.
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/एचआरएम-2 (2 प्रतियां)/एचआरएम-3 (2 प्रतियां)
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी (स्थानिय)
9. एच.आर.एम-1 का वरियता सूची गुप/एम.ए.सी.पी. गुप
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / एच.आर.एम-1